राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़

क्र. 94 मि.सं./रास्वभामिग्रा/पंग्राविवि/2019:: रायपुर, दिनांक 04/05/19

प्रति,

अपर विकास आयुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय
अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

विषयः— छ.ग. शासन के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर राज्यपाल प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 हेतु जानकारी उपलब्ध कराने बाबत् ।

संदर्भः— अपर विकास आयुक्त का पत्र क्रमांक 1233/वि—12/समन्वय/2019 अटल नगर, रायपुर दिनांक 12 अप्रेल, 2019।

विषयांतर्गत आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विभाग के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का आलेख सहित विस्तृत टीप एवं फोटो ग्राफ्स वर्ष 2018—19 की स्थिति में वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की लाभान्वित अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों की संख्या सहित जानकारी चाही गई है।

तदानुसार चाही गई जानकारी तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः— यथोपरि

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ

पृ.क्र. 95 मि.सं./रास्वभामिग्रा/पंग्राविवि/2019, रायपुर, दिनांक 04/05/19

प्रतिलिपीः—
संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

अब नहीं तो कब?

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर राज्यपाल प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की जानकारी

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :– 02 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में स्वच्छता के माध्यम से सुधार लाना है। उक्त उद्देश्य की पूर्ती के क्रम में पूरे राष्ट्र को 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौचमुक्त किया जाना है। प्रचार–प्रसार के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ–सफाई की आदतों को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त तकनीकी को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त तकनीकी को बढ़ावा देना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट को उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

प्रदेश द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार 02 अक्टूबर, 2018 तक छत्तीसगढ़ राज्य को खुले में शौचमुक्त प्रदेश के रूप में स्थापित किए जाने के क्रम में वर्ष 2012 में हुए आधारभूत सर्वेक्षणों के अनुसार प्रदेश में कुल 26,76,670 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण लक्षित था। वर्ष 2012 के सर्वेक्षणों में छूटे एवं बढ़े हुए परिवारों को सम्मिलित करते हुए कुल 32,23,585 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण हुआ। उक्त शौचालयों में से 20,87,629 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मद से 10,27,917 मनरेगा अंतर्गत, 2,08,039 शौचालयों का निर्माण 14वें वित्त, डी.एम.एफ., सी.एस.आर. आदि मदों से निर्मित हुए हैं। प्रदेश के 10,971 ग्राम पंचायतों में से LWE क्षेत्रों की 246 ग्राम पंचायतों को छोड़कर प्रदेश 04 जनवरी, 2018 को खुले में शौचमुक्त हो चुका है।

Scanned by CamScanner

वित्तीय वर्ष 2018–19 वित्तीय प्रगति

कुल प्रावधानित राशि	प्रारंभिक शेष	प्राप्त आबंटन	प्राप्त ब्याज	कुल उपलब्ध राशि	कुल व्यय	अनुसूचित जाति हेतु कुल व्यय	अनुसूचित जनजाति हेतु कुल व्यय
800.00 करोड़	345.9418 करोड़	368.74 करोड़	4.12 करोड़	718.8 करोड़	420.9742 करोड़	50.80 करोड़	183.92 करोड़

वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों हेतु प्रदत्त प्रोत्साहन राशि

कुल परिवार	कुल प्रदत्त प्रोत्साहन राशि	अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या	अनुसूचित जाति परिवारों हेतु कुल प्रदत्त प्रोत्साहन राशि	अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति परिवारों हेतु कुल प्रदत्त प्रोत्साहन राशि
3,28,325	393.99 करोड़	39399	47.2788 करोड़	124764	149.7162 करोड़

Scanned by CamScanner